

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. जैन

सदस्य

प्रकरण क्रमांक- एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4389 विरुद्ध आदेश दिनांक 28-10-2017 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगांव, जिला-छतरपुर का प्रकरण क्रमांक 244/2015-16/अपील

- 1- सुनील कुमार पुत्र श्री हरप्रसाद कुशवाह,
- 2- हरीशंकर पुत्र श्री हरप्रसाद कुशवाह,
दोनों नाबालिक सरपरस्त पिता हरप्रसाद पुत्र श्री रजुआ कुशवाह
- 3- अरविन्द पुत्र श्री गजराज कुशवाह
नाबालिक सरपरस्त माँ हल्कीबाई बेवा गजराज कुशवाह
- 4- हल्कीबाई बेवा गजराज कुशवाह
निवासीगण- ग्राम डुमरा, तहसील राजनगर,
जिला-छतरपुर (म.प्र.)

-----*-----आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- धनीराम पुत्र श्री मोहन सिंह उर्फ मौना कुशवाह
- 2- जानकी पुत्र श्री फिरिया कुशवाह,
- 3- हरीराम पुत्र श्री धुरिया कुशवाह,
- 4- गजराज पुत्र श्री धुरिया कुशवाह,
- 5- बसन्ती पुत्री श्री फिरिया कुशवाह,
निवासीगण- ग्राम गौरारी, तहसील महाराजपुर
जिला-छतरपुर (म.प्र.)
- 6- संतोष पुत्री श्री फिरिया कुशवाह,
पत्नी श्री हल्के कुशवाह,
निवासी- ग्राम मबौद्ध, तहसील महाराजपुर
जिला-छतरपुर (म.प्र.)
- 7- बती पुत्री श्री धुरिया पत्नी दयाशंकर,
निवासी- ग्राम गौरारी, तहसील महाराजपुर
जिला-छतरपुर (म.प्र.)

115
M.M.
26.7.18

8- बिमला पुत्री श्री धुरिया पत्नी कृपाल कुशवाह
निवासी- ग्राम खिरी, तहसील महाराजपुर
जिला-छतरपुर (म.प्र.)

.....अनावेदगण

श्री के.के. दविवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक $26 \frac{07}{2018}$ को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगांव, जिला-छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-10-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सिंहपुर स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 2225 एवं 2226 रकबा 1.852 व 0.356 हैक्टेयर जिसे आवेदकगण ने अनावेदकगण के पिता मोहन उर्फ सुरा से क्रय किया था तथा विक्रय पत्र के आधार पर ही नामांतरण हेतु आवेदन पत्र नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो नामांतरण पंजी क्रमांक 14 वर्ष 1979-80 में पारित आदेश दिनांक 16-11-1980 से आवेदकगण का नामांतरण स्वीकार किया गया था। नामांतरण पंजी क्रमांक 14 वर्ष 1979-80 से परिवेदित होकर अनावेदक क्र. 1 धनीराम द्वारा अपील के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28-10-2017 से अपील समय-सीमा में मानकर स्वीकार किया है। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह बताया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक क्रमांक 1 की अपील को समय-सीमा की छूट देकर अन्दर अवधि मानने में त्रुटि की है, क्योंकि अपील स्पष्टतः अवधि बाह्य थी। परिसीमा के आवेदन पत्र में जानकारी का स्त्रोत दशार्या नहीं है और न ही प्रकरण में विलम्ब के संबंध में कोई पर्याप्त कारण बताये गये थे। अनावेदक क्र. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का एकमात्र कारण सीमांकन हेतु खसरा की नकल निकलवाने हेतु आवेदन पत्र लगाना बताया गया है। परिसीमा

26.7.18

अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिन-प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक होता है, चूंकि इस प्रकरण में दिन-प्रतिदिन का कोई कारण नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त नामांतरण पंजी क्र. 14 आदेश दिनांक 16-11-1980 सहमति से पारित आदेश है, क्योंकि सहमति के रूप में अंगूठा निशानी पंजी पर लगाई गई है, ऐसी स्थिति में सहमति में पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत- 1992 आर.एन. 289, 2007 आर.एन. 359, 2014 आर.एन. 220, 2013 आर.एन. 41 उच्च न्यायालय एवं 2013 आर.एन. 300 उच्च न्यायालय उल्लेखित है। इन विधिक बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रतिउत्तर में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि अनावेदक क्रमांक 1 धनीराम तनय मोहन उर्फ मौना कुशवाहा को नामांतरण पंजी क्रमांक 14 वर्ष 1979-80 के आलोच्य आदेश की जानकारी सर्वप्रथम उस समय हुई जब अनावेदक ने अपनी भूमि के सीमांकन हेतु नकल दिनांक 31-10-2015 निकलवाई एवं दिनांक 03-11-2015 को अपील तैयार कर बिना विलम्ब किये दिनांक 04-11-2015 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण का अध्ययन करने के पश्चात आदेश पारित कर अपील स्वीकार की है, जो कि उचित है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज की जावे।

5/ उभयपक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख एवं ग्राम सिंहपुर की सीमांकन पंजी वर्ष 1979-80 पृष्ठ 11 प्रविष्टि क्रमांक 14 का अवलोकन किया गया। पंजी अनुसार इश्तहार जारी किया जाकर उदघोषणा जारी की गई थी, जिस पर कोई आपत्ति नहीं आयी थी एवं परिवर्तन की सहमति की टीप भी अंकित है। सहमति पर अनावेदक क्रमांक 1 धनीराम के निशानी अंगूठा भी है।

विधिक न्यायिक दृष्टांतों के द्वारा यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि दिन-प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। प्रत्येक काश्तकार अपने नाम अंकित भूमियों के नकले विभिन्न उददेश्यों हेतु समय-समय पर निकलवाता है, चाहे वह कितना भी अनपढ़ हो। प्रस्तुत प्रकरण में यह अवधारणा नहीं की जा सकती है कि अनावेदकों को 37 वर्ष तक नामांतरण आदेश की जानकारी नहीं थी। राजस्व निर्णय 2015 आर.एन. 107 में निम्नानुसार निर्धारण किया गया है- " नामांतरण आदेश के विरुद्ध 17 वर्ष पश्चात अपील - नामांतरण सहमति से किया गया-नामांतरण रजिस्टर पर हस्ताक्षर - प्रत्येक वर्ष भू-राजस्व का भुगतान किया जाता है - यह नहीं माना जा सकता कि उसे नामांतरण के विषय में जानकारी नहीं थी- ऐसा लम्बे समय का विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता है। "

3/4

14/7/18



-4-

एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4389

6/ उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी नौगांव का आदेश दिनांक 28-10-2017 निरस्त किया जाता है। अतः निगरानी स्वीकार की जाती है।

लम्हा
राम
(आर.के. मैन) 26.7.18
सदस्य,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर,